

(सर्व साधारण में विक्रयार्थ)

# पक्षकार या साक्षी के नाम सम्पन्न निकाले जाने के लिये आवेदन

(आदेश १६, नियम १)

वाद संख्या

अनुशासन ही देश को महान बनाता है

पक्षकारों के नाम

न्यायालय

नियत दिनांक

१	२	३	४		५		६
			न्यायालय से निशान-स्थान की दूरी	सड़क	नकद धनराशि जो दी गई	निर्वाह व्यय के लिये	
तलब किये जाने वाले साक्षियों की संख्या	तलब किये जाने वाले प्रत्येक व्यक्त का नाम और पूरा पता	पद या व्यवसाय	ल	सड़क	मार्ग व्यय के लिये	निर्वाह व्यय के लिये	उस व्यक्ति का नाम और पता जिसे व्यय होने से बचा हुआ तलबाना वापस होना चाहिये